पटना में दिनांक—19 सितम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	आपदा प्रबंधन विभाग		
1.	"बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017" एवं "बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017" का गठन।	1.	स्वीकृत।
	ऊर्जा विभाग		
2.	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के फीडरों में ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु राशि 71.00 (एकहत्तर) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 14.12 करोड़ (चौदह करोड़ बारह लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 56.88 करोड़ (छप्पन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	उद्योग विभाग		
3.	सर्वश्री रिगल रिर्सोसेज प्रा० लि०, कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में 180 टी०पी०डी० क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना हेतु कुल रू० 6848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति देने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
4.	बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 गठन की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
5.	गंगा नदी के बक्सर से फरक्का के बीच गाद समस्या का विस्तृत अध्ययन हेतु परामर्शी कार्य, भारतीय प्राधौगिकी संस्थान, कानपुर के प्राध्यापक, डा० राजीव सिन्हा के नेतृत्व में परामर्शी सेवा के कार्य, प्राक्कलित राशि 42.9375 लाख सभी कर सहित (बयालीस लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित करने का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली –2003 की कंडिका 4.9.3 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन। — 6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. नालन्दा जिलान्तर्गत गिरियक को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत ₹ 331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रू०) की योजना को संशोधित करते हुए ₹ 302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रू०) के योजना की स्वीकृति तथा हुडको से ऋण प्राप्त करने के बदले राज्य सरकार की निधि से इस योजना का कार्यान्वयन बुडको से कराये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (PPMU) का वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के लिए अवधि विस्तारित करते हुए कुल रूपये 29.04 लाख (उन्तीस लाख चार हजार रूपये मात्र) अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल बारह पदों का अवधि विस्तार के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

10. ह्वेग सांग स्मृति भवन, नालन्दा के सामने सांस्कृतिक ग्राम का निर्माण हेतु कुल 49.10 एकड़ भू–अर्जन के निमित पूर्व 33,50,00,000/–(तेंतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए राशि 63,50,55,182/–(तिरसठ करोड़ पचास लाख पचपन हजार एक सौ बेरासी रूपये) मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में भू–अर्जन के मद से राशि 26,29,81,000/–(छब्बीस करोड़ उनतीस लाख एकासी हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. डा० धीरेन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत्त अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/–रूपये में दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.01.1996 से 28.02.1998 तक 01 (एक) छाया पद एवं वेतनमान 14300–18300/–रूपये में दिनांक–01.03.1998 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.03.1998 से 31.01.2000 (सेवानिवृत्ति) तक 01 (एक) छाया पद सृजन की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ एवं मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु प्रति विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 48 पदों अर्थात तीनों विश्वविद्यालयों के लिए कुल 144 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

13. किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अंतर्गत डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय अर्राबाड़ी परिसर में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–14 (चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

14. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम०एस०डी०पी०) के तहत पूर्व के व्यय के पश्चात स्वीकृत योजनाओं के दायित्व के रूप में केन्द्रांश मद में 532.9113 करोड़ (पाँच अरब बत्तीस करोड़ एकानबे लाख तेरह हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 357.6753 करोड़ (तीन अरब सन्तावन करोड़ सड़सठ लाख तिड़पन हजार) अर्थात कुल 890.5866 करोड़ (आठ अरब नब्बे करोड़ अन्ठावन लाख छियासठ हजार) रूपये मात्र वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक कार्यान्वयन एवं विधिवत व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

15. वर्ष 2014–15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Project Appraisal Committee की दिनांक–05.09.2014 को आयोजित बैठक एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०–11015/18/2014–SG-II दिनांक–15.09.2014 द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत स्वीकृत 5 (पाँच) 300 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) विद्यालय (1) किशनगंज (2) बांका (3) जमुई (4) भागलपुर एवं (5) बक्सर में विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 8567.45 लाख रूपये (पचासी करोड़ सड़सठ लाख पैंतालीस हजार रूपये) (केन्द्रांश 4518.00 लाख रूपये, राज्यांश 3012.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 1037.45 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

कृषि विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 11414.98 लाख रूपये (एक अरब चौदह करोड़ चौदह लाख अट्ठानवे हजार रूपये) (केन्द्रांश 6238.80 लाख रूपये, राज्यांश 4159.20 लाख रूपये एवं राज्य योजना 1016.98 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

18. सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनने की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/–(बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य प्रमंडल में गठित विशेष सेल के लिए 1X 10= कुल 10 सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों का सृजन। — 18. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

19.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की कार्य अवधि सहित अधीनस्थ पदों का अगले एक वर्ष (अर्थात 01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018) तक अवधि विस्तार के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20.	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत मधेपुर–तमोरिया–अंधराठाढ़ी पथ के कि०मी० 0.0 से 35.00 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, बचाव कार्य एवं क्रॉस ड्रेनेज कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/81) कुल ₹ 3712.73 लाख (सैंतीस करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21.	पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत चन्द्रदेई–बनगामा–पैकटोला –मटियारी–मोगरा पथ के कि०मी० 1 (अंश), 11 (अंश), 12 से 13, 14 (अंश), 15 (अंश), 16 से 24, 25(अंश), 26 (अंश), 27 से 28 तक कुल–14.832 कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4735.69 लाख (सैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०–XIX) के तहत् मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर डॉ० जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के पास सोडा गोदाम चौक एवं अहियापुर के बीच पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 2–लेन के 12x25.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य, कुल 7250.00 लाख (बहत्तर करोड़ पचास लाख) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

23. VATMIS Application हेतु टी०सी०एस० के वार्षिक रख–रखाव (AMC) (दिनांक–23.08.17 से 22.08.18 तक) के नवीकरण के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर टी०सी०एस० को देय कुल राशि रू० 1,04,34,600/– (एक करोड़ चार लाख चौतीस हजार छः सौ मात्र) तथा इस राशि पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं माल और सेवा कर की राशि की स्वीकृति देने के संबंध में।	23. स्वीकृत।